

सं० ॥०३०/२१/८३-अ०भा०से०॥१॥

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक १६-१-१९८५

सेवा में,


सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय:- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अंतरिम सहायता दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक १२ अक्टूबर, १९८३ के इसी संख्या के पत्र के संदर्भ में मुझे वेतन छुट्टी की राशि पर अंतरिम रा की गणना किए जाने की पद्धति के संबंध में स्पष्टीकरण दिए जाने के ब में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक २४-८-१९८४ के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ ७४३९४-ई-१११/८३ की एक प्रति इस पत्र के साथ आपकी सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रोषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

  
॥एम० पी० कुस्प॥

डेस्क अधिकारी